फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

रामजीलाल बनाम सुरजीतसिह आदि

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 95/19 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील मे जारी हुए
10.07.2019	प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः जबाब पेश होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक भूमि में से गैरसायलान न0 1 व 2 के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा दर 420 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 01.10.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
20/8/19	~~वकील साइल एवं साइल के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई साइल ने निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता खारिज फरमावें। साइल के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश बाहर इजलास सुनाया गया।~~ (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	रामजीलाल

Scanned with CamScanner